पत्र संख्या–न्याय–5(1)/ अम्रपाली ग्रुप /2020–21/ 230 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(वाद अनुभाग) लखनऊ :: दिनांक ::04, अगस्त, 2020

महोदय,

कृपया मुख्यालय के पत्र सं0 174 दिनांक 16/07/2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, गाजियाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–33 दिनांक 30.06.2020 प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि गयी है यदि आपके जोन में अम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध अवशेष किसी भी डिस्प्यूट से संबंधित सूचना उपलब्ध हो तो शीघ्र सर्वो0न्या0क0, वाणिज्य कर गाजियाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें

उक्त के संबंध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, गाजियाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–59 दिनांक 31/07/2020 (प्रति संलग्न) द्वारा यह अवगत कराया है कि 15 दिन व्यतीत होने के उपरान्त भी किसी भी जोन से वांछित सूचना प्राप्त नही हुई जिसके कारण INTERVENTION APPLICATION दाखिल करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। इस संबंध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, गाजियाबाद ने अपने उक्त पत्र दिनांक 31/07/2020 द्वारा अम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध अवशेष किसी भी डिस्प्यूट से संबंधित सूचनाओं के संबंध में समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को एक सप्ताह में उनके जोन से संबंधित सूचनायें उनके कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि यदि आपके जोन में अम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध अवशेष किसी भी डिस्प्यूट से संबंधित सूचना उपलब्ध हो तो तत्काल सर्वोच्च न्यायालय कार्य वाणिज्य कर गाजियाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

DC (S-T)
04/8/2020
687

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(राम सजीवन मिश्रा)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (वाद),वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

**पृष्ठांकन पत्र संo व दिo उक्त**

प्रतिलिपि — ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संदर्भित पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।

2. ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, गाजियाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–59 दिनांक 31/07/2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

ज्वाइण्ट कमिश्नर (वाद), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

स्तुति श्रीवास्तव
ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वो०न्या०का०)
वाणिज्य कर, गाजियाबाद।

अर्द्ध शा० पत्र सं० - 59 /ज्वा० कमि० (सर्वो०न्या०का०)/2020-2021
कार्यालय ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य)
वाणिज्य कर, गाजियाबाद। दिनांक :-31/07/2020

आदरणीय महोदय,

कृपया इस कार्यालय के एडीशनल कमिश्नर (विधि) उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित अर्धशासकीय पत्र सं0-35 दि0 30-06-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका सं0-940/2017 विक्रम चटर्जी (AMRAPALI GROUP OF MATTERS) व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के वाद में विभाग की ओर से मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद किये जाने हेतु INTERVENTION APPLICATION दाखिल किये जाने हेतु प्रत्येक जोन से आम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध किसी भी DISPUTE से सम्बन्धित सूचनायें एकत्रित कराते हुए इस कार्यालय को भिजवाने का अनुरोध किया गया था ताकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विभाग की ओर से समेकित रूप से INTERVENTION APPLICATION दाखिल करायी जा सके।

उक्त के सम्बन्ध में वाद अनुभाग के पत्र सं0-न्याय-5(1) आम्रपाली ग्रुप / 2020-21/174/वाणिज्य कर लखनऊ दि0 16-07-2020 के द्वारा समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0 प्र0 से यह अनुरोध किया गया है कि यदि उनके जोन में आम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध अवशेष किसी भी DISPUTE से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध हो तो शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध करा दे। आज 15 दिन व्यतीत होने के उपरान्त भी किसी भी जोन से वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण INTERVENTION APPLICATION दाखिल करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध अवशेष किसी भी DISPUTE से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ को एक सप्ताह में उनके जोन से सम्बन्धित सूचनायें इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें ताकि सभी सूचनायें एडवोकेट ऑन रिकार्ड को प्राप्त कराते हुए विभाग की ओर से मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विभाग की ओर से INTERVENTION APPLICATION दाखिल करायी जा सके। सम्बन्धित जोन को यह भी निर्देशित करने की कृपा करें कि यदि दी गयी सयमावधि के पश्चात कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसे INTERVENTION APPLICATION में समाहित नहीं किया जायेगा तथा यह मान लिया जायेगा कि उनके जोन से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

भवनिष्ठा,

(स्तुति श्रीवास्तव)

कमिश्नर वाणिज्य कर (वाद अनुभाग)
उ0प्र0, मुख्यालय, लखनऊ।